मानव व्यापार कानुनी संघर्व टूलकिट

बँधुवा श्रम हस्तछेपों की SOP

बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ

बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश

चरण: १
बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना

चरण: २
बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज कराना

चरण: ३
बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना

चरण: ४
बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करना

चरण: ५
बंधुआ श्रमिकों के बचाव स्थल को सुरक्षित करना

चरण: ६
बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करना

चरण: ७
बंधुआ श्रम का साक्ष्य इकट्ठा करना

चरण: ८
बंधुआ श्रमिकों के बयान दर्ज करना

चरण: ९
बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना

चरण: १०
बंधुआ श्रमिकों के रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करना

चरण 1 बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना

समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने की प्रक्रिया में दो से आठ माह लग सकते हैं ।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ श्रम और अन्य संबंधित अपराधों के क़ानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं।

व्याख्या

NGO और/या अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के घटित होने के बारे में जानकारी इनमें से किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकती है:

- पीड़ित या पीड़ित का परिवार, समुदाय या बच निकला कोई व्यक्ति;
- NGO/ समुदाय के नेता;
- ज़िला प्रशासन, ग्राम पंचायत या अन्य विभाग (जैसे, श्रम विभाग);
- मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और ज़िला स्तरीय);
- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो;
- मुख़बिर।

अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2(g) के तहत वर्णित प्रकृति के करारों/समझौतों की मौजूदगी दिखाती है या नहीं।

अधिवक्ता को यह पुष्टि भी करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार बलात् परिस्थितियों के पहलुओं को दिखाती है या नहीं।

अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को शीघ्रता से उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करने की सलाह देनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी

ज़िला प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वह राजस्व मंडल अधिकारी (रेवेन्यू डिवीज़नल ऑफ़िसर, RDO) या अनुमंडल दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट, SDM)[1] के ज़रिए बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच करे।[2] अतः NGO और अधिवक्ता की मुख्य भूमिका यह है कि वे बंधुआ श्रम की मौजूदगी को ज़िला प्रशासन के संज्ञान में लाएँ।

स्थान की पहचान

उस स्थान की पहचान करना महत्वपूर्ण है जहाँ बच्चे या महिलाएँ फँसे हुए हैं।

[1] कुछ क्षेत्राधिकारों, जैसे कर्नाटक, में SDO (सब-डिवीज़नल ऑफ़िसर/अनुमंडलीय अधिकारी) या AC (असिस्टेंट कमिश्नर/सहायक आयुक्त) भी कहा जाता है।

[2] कृपया BLA की धाराएँ 10 लगायत 12 देखें जिनके ज़रिए राज्य सरकार DM को यह प्राधिकार दे सकती है कि वह अधीनस्थ अधिकारियों, जैसे RDO या SDM, को BLA का कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी होने की शक्ति दें।

जानकारी के स्रोत

- NGO प्रतिनिधि इन साधनों के ज़रिए बंधुआ श्रम घटित होने के बारे में जानकारी ढूँढ सकते हैं:
- स्रोत स्थान: स्रोत स्थानों में पीड़ितों और संभावित पीड़ितों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें। पीड़ितों में असुरक्षित व्यक्ति, असुरक्षित समुदाय, कठिन परिस्थितियों में फँसे लोग, आदि शामिल हैं। NGO को समुदाय के लोगों को इस बारे में संवेदनशील बनाना और प्रेरित करना चाहिए कि वे समुदाय में संभावित पीड़ितों के अनियमित रूप से आने-जाने पर नज़र रखें। स्रोत स्थानों में बच निकले लोगों के साक्षात्कार से भी गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं।
- पारगमन बिंदु: लाए/ले जा रहे या आ-जा रहे पीड़ितों और दोषियों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर दल तैनात करें। पारगमन बिंदुओं में बस स्टॉप/स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सीमाओं पर स्थित आप्रवासन/ कस्टम ऑफ़िस और घूमने-फिरने की जगहें शामिल हैं।
- माँग स्थान: ऐसे स्थानों पर/गतिविधियों में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें जहाँ बंधुआ श्रम की अधिक माँग होती है (जैसे, ईंट भट्ठे, रत्नों की खदानें, कालीन उद्योग, कृषि भूमियाँ, खानें, बिजलीघर, निर्माण स्थल, चीनी मिलें, चावल मिलें, फ़ैक्टरियाँ, घरेलू दासता)।
- दुश्मनी: किसी इकाई के मालिक और मुख़बिर के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रतिद्वंद्विता होने पर बंधुआ श्रमिकों की पहचान हो सकती है।
- मीडिया रिपोर्ट: मीडिया रिपोर्ट से, समाचार-पत्रों में प्लेसमेंट एजेंसियों व पार्लरों आदि के विज्ञापनों से गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें।

प्रलोभन अभियान

प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रलोभन अभियान में एक व्यक्ति गुप्त रूप से जाता है (इस व्यक्ति को "प्रलोभक" कहते हैं) और अपने वेष का उपयोग करके बंधुआ श्रम घटित होने और उसके स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रलोभक ऐसी अन्य जानकारी इकट्ठी करने में भी सहायता करता है जो बचाव अभियान चलाने में उपयोगी हो सकती है पर जो अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

- किसे प्रलोभक बनाया जा सकता है: किसी पुलिस अधिकारी को, NGO के किसी प्रतिनिधि को या प्रलोभक के रूप में भेजे जाने को तैयार किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभक बनाया जा सकता है।
- प्रलोभक किसका वेष धर सकता है: प्रलोभक बिचौलिये/दलाल, ठेकेदार, या नियोक्ता आदि का वेष धर सकता है।
- प्रलोभक को जानकारी दें: प्रलोभक को पीड़ितों की हालत के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और ऐसे अभियानों के संचालन से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया जाना चाहिए। प्रलोभक को मानव व्यापार के पीड़ित की असुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए और उसे न तो अपनी मौजूदगी से पीड़ित को और परेशान करना चाहिए और न ही उसे हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रलोभक को इस बारे में सावधानी से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पैदा हो सकने वाली विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देनी है।

पीड़ित का दस्तावेज़ीकरण

पीड़ितों के बयान लेने चाहिए। अपने केस को मज़बूत बनाने के लिए अधिकतम संभव पीड़ितों के बयान लें। यदि संभव हो तो, पीड़ितों से उनकी परिस्थिति के हस्ताक्षरित शपथपत्र (एफ़िडेविट) लें और पीड़ित के बयान की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें।

स्वामी के बारे में तथ्यों की खोज

स्वामी की प्रकृति, उसके पिछले कृत्यों, और स्थानीय प्रशासन के साथ उसके संपर्कों को समझने के लिए उसके बारे में तथ्य खोजें।

गोपनीयता बनाए रखें: पीड़ितों, तलाशे जाने वाले बचाव स्थल, और स्वामियों से संबंधित जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ऐसे व्यक्तियों के सामने जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए जिनका अभियान से कोई संबंध नहीं है।

क़ानून-सम्मत ढंग से जानकारी इकट्ठी करना

इस प्रक्रिया में शामिल NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी क़ानून-सम्मत ढंग से और पीड़ितों की सुरक्षा को ख़तरे में डाले बिना इकट्ठी की जाए। NGO प्रतिनिधियों को यह याद रखना चाहिए कि वे पुलिस या प्रशासन नहीं हैं और इसलिए उनके पास किसी परिसर की तलाशी की, वस्तुएँ या साक्ष्य ज़ब्त करने की, या किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने या उसे ग़ैरक़ानूनी ढंग से क़ैद करने की शक्ति नहीं है। अधिवक्ता को इस प्रक्रिया के दौरान क़ानून का अनुपालन सुनिश्चित करने में NGO प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

पीड़ितों को बचाव के लिए तैयार करना

जाँच के बचाव-पूर्व चरण के दौरान, पीड़ितों को बचाव के बारे में और किस प्रकार उनके लिए मैजिस्ट्रेट के प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक किया जाएगा इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। बचाव के समय और दिनांक की जानकारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर जानकारी के ग़लत हाथों में पड़ने का ख़तरा होता है। गवाहों की सफल गवाही के लिए और पीड़ितों से अच्छे संबंध बनाने के लिए बचाव से पहले पीड़ितों को तैयार करना महत्वपूर्ण होता है; यदि ऐसा न किया जाए तो अचानक उनसे प्रश्न पूछे जाने पर वे हक्के-बक्के हो सकते हैं।

यदि NGO प्रतिनिधि/अधिवक्ता या मुख़बिर को बंधुआ श्रम में फँसे व्यक्तियों के बारे में किसी स्रोत से सूचना मिलती है, तो उसे किसी संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकरण (DM, SDM, AHTU, NHRC या पुलिस) को तत्काल सतर्क करना चाहिए।

किसी बंधुआ श्रमिक को अपने बूते बचाने की कोशिश न करें।
बचाव के लिए NGO और उसके प्रतिनिधियों के साथ-साथ DM/SDM/पुलिस की अनुमति व उपस्थिति आवश्यक होती है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम की परिभाषा और अवधारणा - किसी श्रमिक को बंधुआ श्रमिक माना जाता है यदि:

a. वह उसे मिली किसी अग्रिम राशि, किसी परिपाटी/सामाजिक दायित्व, विरासत में मिले किसी पारिवारिक दायित्व या अन्य आर्थिक स्थिति के कारण, या अनुसूचित जाति का होने या किसी सामुदायिक दायित्व के कारण कार्य कर रहा है (करार/समझौते का घटक);[3]

और

b. उसे वेतन नहीं मिल रहा है/न्यूनतम से कम वेतन मिल रहा है या उसके पास रोज़गार की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता, या बाज़ार मूल्य पर अपनी ख़ुद की वस्तुएँ बेचने की स्वतंत्रता नहीं है (बलात् परिस्थिति का घटक)।[4]

बंधुआ श्रम की पूर्वधारणा:

बंधुआ श्रम की पूर्वधारणा: सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई भी बलात् परिस्थिति मौजूद है तो उसमें बंधुआ श्रम निहित हो सकता है क्योंकि ऐसे में करार/समझौते के घटक की पूर्वधारणा होती है, तब के सिवाय जब किसी साक्ष्य से उसका खंडन किया जाए।[5]

शारीरिक दुर्व्यवहार की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है: पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ[6] में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बलात् श्रम (बंधुआ श्रम) में भौतिक/शारीरिक बल का शामिल होना आवश्यक नहीं है।

बाल श्रम:

यदि बाल श्रमिकों की पहचान हो, तो NGO और अधिवक्ता को DM/SDM/DA को प्रेरित करना चाहिए कि वे बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बचाव के समय श्रम विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रखें।

[3] BLA की धाराएँ 2(g) (i)-(v)।

[4] पूर्वोक्त।

[5] बंधुआ मुक्ति मोर्चा AIR 1984 SC 802 पैरा 34. 74 AIR 1982 SC 1473 , पैरा 20।

[6] AIR 1982 SC 1473 , पैरा 20।

NGO की भूमिका:
नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब किसी NGO द्वारा DM को किसी बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी के बारे में शिकायत प्रदान की जाती है तो तब DM का यह दायित्व है कि वह जाँच करते समय उस NGO के प्रतिनिधि को शामिल करे और उक्त जाँच की रिपोर्ट उस प्रतिनिधि को दी जानी चाहिए।[7]

भारत में बंधुआ श्रम के बारे में और जानने के लिए:
अध्याय 2 D देखें। भारत में बंधुआ श्रम से जुडे क़ानूनों के बारे में और जानने के लिए, अध्याय 4 C देखें।

पीड़ित को तैयार करना:
बचाव के समय पीड़ित को किन-किन प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहना चाहिए इस बारे में जानने के लिए UNODC Standard Operating Procedures (SOP) on Investigation of Crimes of Trafficking for Forced Labour[8] (बलात् श्रम के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच के लिए UNODC की मानक प्रचालन कार्यविधियाँ) का संलग्नक 3 देखें। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के बयानों के आधार पर ही रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किया जाता है। पीड़ितों को इस बारे में बताया जाना चाहिए कि बंधुआ श्रम क्या है, ताकि जब उनका बयान दर्ज किया जाए तो उससे बंधुआ श्रम का स्पष्ट साक्ष्य मिले। पीड़ित को तैयार करना, बचाव-पूर्व तैयारी का एक बेहद अहम हिस्सा है।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:
NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और दोषियों के नाम और अन्य विवरण सावधानी से दस्तावेज़ में नोट करने चाहिए। यह दस्तावेज़ औचक जाँच के दौरान बंधुआ श्रमिक की पहचान में एक उपयोगी साधन सिद्ध होगा। बचाव-पूर्व दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म की एक प्रति परिशिष्ट 1 में है।

बाल श्रम:
यदि बाल श्रमिकों की पहचान हो, तो NGO और अधिवक्ता को DM/SDM/DA को प्रेरित करना चाहिए कि वे बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बचाव के समय श्रम विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रखें।

चरण 2 बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज कराना

समयसीमा: जानकारी इकट्ठी करने की प्रक्रिया में दो से आठ माह लग सकते हैं, जबकि शिकायत तैयार करके जमा करने में दो से आठ दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके संबंधित DM और उनके अधीनस्थों के सामने पेश करने के लिए बंधुआ श्रम की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करने के पक्ष में एक ठोस क़ानूनी दलील पेश करती हो, और उसे ज़िलाधिकारी और उनके अधीनस्थों के सामने शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए।

[7] AIR 1984 SC 1099, उक्त निर्णय के पैरा 4 और 6।

[8] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के परिशिष्ट 3 के तहत 'Screening Tool to Help Identify A Potential Victim Of Human Trafficking' , p. 43 देखें। यहाँ उपलब्ध: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_-_Investigation_-_Forced_Labour.pdf>.

व्याख्या

जब NGO प्रतिनिधि बंधुआ श्रम प्रणालियों की मौजूदगी वाली इकाई से जानकारी इकट्ठी कर लें, तो उन्हें अधिवक्ता की सहायता के साथ, एक शिकायत या एक विस्तृत क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट तैयार करके DM या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के सामने पेश करनी चाहिए।

यदि DM या अधीनस्थ अधिकारी उपलब्ध न हों तो स्थानीय पुलिस या मानव व्यापार-रोधी इकाई (यदि गठित हो) के पास भी शिकायत की जा सकती है।

हालाँकि, पुलिस या AHTU के पास बंधुआ श्रम घटित होने की जाँच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए, यदि शिकायत या LIR पुलिस/AHTU के सामने पेश की जानी हो, तो अधिवक्ता और NGO को उन्हें यह मार्गदर्शन देना चाहिए कि जाँच करने के लिए वे DM या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी के साथ समन्वय करें और बचाव के समय उपस्थित रहें।

DM के सामने शिकायत या LIR पेश हो जाने पर, यदि वे स्वयं जाँच करने में असमर्थ हैं तो वे राजस्व विभाग के किसी अधीनस्थ अधिकारी को यह ज़िम्मेदारी सौंप देंगे। अपर ज़िलाधिकारी(अडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट), अनुमंडल दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट) या राजस्व विभाग का तहसीलदार/उप-निबंधक उक्त अधीनस्थ अधिकारी हो सकते हैं।

यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बंधुआ श्रम से संबंधित शिकायत सीधे NHRC को भी भेजी जा सकती है।

अधिवक्ता को NGO की सहायता के लिए लिखित शिकायत या विस्तृत क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। लिखित शिकायत में बंधुआ श्रम और संबंधित आपराधिक क़ानूनों के उल्लंघनों (जो हुए हों) का उल्लेख होना चाहिए।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम की शिकायत को सबसे पहले ज़िला प्रशासन के सामने पेश करने की कोशिश की जाए। यदि किसी कारण से ज़िला प्रशासन से शिकायत न की जा सकती हो, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस से शिकायत की जाए, और पुलिस को तुरंत ज़िला प्रशासन से संपर्क करने को प्रेरित किया जाए। साथ-ही-साथ, अधिवक्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत करने में भी NGO की सहायता कर सकता है।

यदि ज़िला प्रशासन शिकायत प्राप्त करने में असमर्थ है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस/AHTU के सामने पेश की जाए। हालाँकि, चूँकि उनके पास घटना की जाँच का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, अतः अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस तत्काल ज़िला प्रशासन को सूचित करे। शिकायत NHRC को भी भेजी जा सकती है, जिसके पास बंधुआ श्रम क़ानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं, और वह राज्य या ज़िले के स्तर पर अफ़सरशाही या भ्रष्टाचार से बाधाएँ उत्पन्न होने पर एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार साबित हो सकता है।

सस्मरणीय बिंदु

क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट
कुछ संगठन DM के पास शिकायत के रूप में क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट (लीगल इंटरवेंशन रिपोर्ट, LIR) जमा करने को प्राथमिकता देते हैं। LIR के साथ-साथ एक सूची भी जमा करनी चाहिए जिसमें पीड़ितों के नाम और अन्य विवरण हों, जैसे पता, परिजनों के नाम, श्रमिक की आयु और जाति। LIR जमा करते समय NGO प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी को यह सलाह देनी चाहिए कि वह सूची को गोपनीय रखे, और सरकार को LIR प्राप्त हो गई है यह सिद्ध करने के लिए उन्हें एक अभिस्वीकृति प्रति लेनी चाहिए। बचाव हस्तक्षेप से पहले श्रम स्थल के स्वामियों को ख़बर न लगने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए LIR को गोपनीय रखना आवश्यक है। इससे बचाव हस्तक्षेप के दौरान बंधुआ श्रमिकों को स्वतंत्र कराया जाना और दोषियों का स्थल पर ही पकड़ा जाना सुनिश्चित होगा। शिकायत/LIR पीड़ित के/पीड़ित के परिवार के नाम से जमा की जा सकती है।

बंधुआ श्रम की शिकायत किससे की जा सकती है? DM/SDM, पुलिस, AHTU, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) या NHRC से शिकायत की जा सकती है। हालाँकि, यदि DM/SDM की उपस्थिति के बिना बचाव कार्य किया जाता है तो वह बेकार साबित होगा क्योंकि केवल DM/SDM के पास ही BLA के तहत जाँच करने या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति होती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ, जैसे पुलिस, बचाव कार्य करते समय DM/SDM के साथ समन्वय करें।

मानव व्यापार-रोधी इकाई AHTU (मानव व्यापार-रोधी इकाई) पर मानव व्यापार के मामलों में बचाव कार्य संचालित करने की ज़िम्मेदारी होती है। AHTU स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ अभियान की अगुवाई कर सकती है। AHTU से संपर्क केवल तब किया जा सकता है यदि राज्य या ज़िला स्तर पर उसका गठन किया गया हो।.

स्थानीय पुलिस बंधुआ श्रम के बारे में शिकायत मिलने पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर लागू आवश्यकताएँ वही हैं जो किसी भी अन्य संज्ञेय अपराध के मामले में होती हैं। बंधुआ श्रम की जानकारी मिलने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास मामले की जाँच करने की शक्ति होती है। पुलिस अधिकारी को वह शिकायत बिना किसी विलंब के ज़िला प्रशासन के संबंधित अधिकारी को भी भेजनी चाहिए।

राज्य/ज़िला बाल श्रम कार्य बल बंधुआ बाल श्रम के मामले में, NGO प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय/ज़िला स्तरीय बाल श्रम कार्य बल को सूचित करना चाहिए। यदि कार्य बल गठित न हुआ हो, तो NGO ज़िलाधिकारी या स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकता है।

SHRC/NHRC सर्वोच्च न्यायालय ने BLA के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) को नियुक्त किया है। कोई भी NGO किसी भी समय और, यदि ऊपर लिखे अन्य अधिकारी कार्रवाई करने के इच्छुक न हों तो भी, SHRC या NHRC से संपर्क कर सकता है। NHRC के पास बंधुआ श्रम क़ानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, और वह एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार साबित हो सकता है, विशेष रूप से अफ़सरशाही या भ्रष्टाचार से बाधाएँ उत्पन्न होने पर।

उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय यदि ऊपर लिखे सभी अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहें, तो NGO को किसी अधिवक्ता से संपर्क करके यह अनुरोध करना चाहिए कि वह पीड़ित के नाम से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करे।

अधिकारियों से संपर्क करने से पहले की जाँचसूची:
अधिकारियों से संपर्क करने से पहले NGO प्रतिनिधियों को:

1. यह तय करना चाहिए कि किन अधिकारियों से संपर्क करना है (मामले की अविलंबता, अधिकारियों के अपेक्षित उत्तरों, मामले की गंभीरता आदि के आधार पर)
2. अपॉइंटमेंट लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अधिकारियों से मिलने जा रहे NGO प्रतिनिधियों को बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनों और कार्यविधियों से परिचित होना चाहिए। बंधुआ श्रम की क़ानूनी नियमावली और उक्त के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय साथ ले जाना उपयोगी है, क्योंकि यदि अधिकारी इन चीज़ों से अवगत न हुए तो काम आएँगे।

अभिस्वीकृति: NGO प्रतिनिधियों को, जहाँ तक संभव हो, सूचना/शिकायत लिखित रूप में जमा करनी चाहिए और उसकी लिखित अभिस्वीकृति लेनी चाहिए। यदि सूचना लिखित में न दी जा सकती हो, तो उसे पुलिस अधिकारी को मौखिक रूप से भी बताया जा सकता है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई हो, तो पुलिस अधिकारी को उसे लिखित रूप देना चाहिए और उस पर मुख़बिर के हस्ताक्षर लेने चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी NGO प्रतिनिधियों की शिकायत पर उचित ध्यान दें और यह कि बचाव के सारे चरणों में NGO प्रतिनिधि को शामिल रखा जाए।

बंधुआ श्रमिकों की पहचान में NGO की भूमिका
अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों की ओर ध्यान खींचना चाहिए जो बंधुआ श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास में NGO की भूमिका पर बल देते हैं।

पीड़ित को अधिकारियों के सामने पेश करना
जब भी संभव हो, अधिवक्ता को पीड़ित को संबंधित अधिकारियों के सामने पेश करना चाहिए। पीड़ित की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

शिकायत कौन कर सकता है? NGO, बंधुआ श्रमिक, सरकारी अधिकारी या कोई तृतीय पक्ष बंधुआ श्रम की शिकायत कर सकता है क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति जानकारी का स्रोत हो सकता है।[9] पीड़ित या पीड़ित का परिवार भी मुख्य शिकायतकर्ता हो सकते हैं (ध्यान दें कि इस शिकायत का अर्थ बंधुआ श्रम की मौजूदगी के संबंध में दी गई सूचना से है और यह CrPC की धारा 2(d) के तहत की गई औपचारिक शिकायत से अलग है)। प्राथमिकी की शुरुआत के लिए ज़िला प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी औपचारिक शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित भी शिकायतकर्ता हो सकते हैं। यदि शिकायत, शिकायतकर्ता को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा लिखी जा रही है तो शिकायतकर्ता को शिकायत स्पष्ट रूप से समझाई जानी चाहिए।

बंधुआ श्रम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी: BLA के अनुसार, DM या DM द्वारा नामित कोई अधीनस्थ अधिकारी कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी होता है।[10]

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: याद रखें, बंधुआ श्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।[11]

बंधुआ श्रम से संबंधित क़ानून: बंधुआ श्रम से सर्वाधिक संबंधित अधिनियमों में BLA, IPC, CrPC, साक्ष्य अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, JJA और SC/ST अत्याचार निरोध अधिनियम (यदि पीड़ित SC/ST है और दोषी SC/ST नहीं है) शामिल हैं। अन्य संबंधित क़ानून जैसे अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, समान पारितोषिक अधिनियम, भवन निर्माण अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए लागू हो सकते हैं।[12] हमले, ग़ैरक़ानूनी क़ैद, अपहरण और बलात्कार को कवर करने वाले संबंधित क़ानूनी प्रावधान और अन्य प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों से संबंधित निर्णय **अध्याय 5** में हैं।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: विभिन्न संबंधित दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

- **क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट:** LIR का प्रारूप परिशिष्ट 6 में है। DM, पुलिस और किसी भी अन्य अधिकारी से बंधुआ श्रम की शिकायत करने के लिए इस प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है।
- **बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म:** बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप परिशिष्ट 7 में है।
- **NHRC से शिकायत:** NHRC के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप उनकी वेबसाइट पर भी है।[13] NHRC से शिकायत कैसे करें इसके दिशानिर्देश परिशिष्ट 2 में हैं। NHRC के पास शिकायत उनकी वेबासाइट पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतें लिखित रूप में डाक से या फ़ैक्स द्वारा भी भेजी जा सकती हैं।
- **HRC से शिकायत:** SHRC को भी शिकायतें लिखित रूप में डाक से या फ़ैक्स द्वारा भेजी जा सकती हैं। SHRC के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप और दिशानिर्देश परिशिष्ट 3 में हैं।

[9] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के अनुभाग 3.1 के तहत गुप्त सूचना एकत्रण के दिशानिर्देश p. 13 पर देखें।
[10] BLA की धाराएँ 10,11 और 12।
[11] नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1984 SC 1099।
[12] यह संपूर्ण सूची नहीं है और अधिवक्ताओं को अन्य लागू क़ानूनों को लागू करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता में या अन्य क़ानूनों में हमले, ग़ैरक़ानूनी क़ैद, अपहरण और बलात्कार से संबंधित अन्य अपराधों के पहलू प्रासंगिक हो सकते हैं।
[13] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट: http://nhrc.nic.in/.

चरण 3 बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना

समयसीमा: बचाव योजना बनाने की प्रक्रिया में 2 दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों और अवधारणाओं के बारे में NGO को सलाह देकर बंधुआ श्रमिक बचाव योजना तैयार करने में सहायता देनी चाहिए।

व्याख्या

NGO को दो अलग-अलग प्रकार की बैठकों की योजना बनानी चाहिए: (i) आंतरिक रणनीति बैठक; और (ii) सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठक।

आंतरिक रणनीति बैठक: NGO को बचाव अभियान के लिए एक आंतरिक रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए और योजना के संचालन पर चर्चा के लिए एक केस ओपनिंग बैठक आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक में NGO प्रतिनिधियों को यह तय करना चाहिए कि कौनसे सरकारी अधिकारियों और NGO को बचाव में भाग लेना चाहिए। योजना में बचाव इकाई के स्थान का विवरण, बचाव स्थल का भौतिक नक्शा, प्रवेश और निकास बिंदु, छिपने के ठिकाने, और बचाव स्थल का स्केच नक्शा भी होने चाहिए। ऊपर लिखे विवरण, तलाशे जाने वाले स्थान के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त और संकलित किए जाने चाहिए।

सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठकें: NGO को केस ओपनिंग बैठक के दिनांक से दो या तीन दिनों के भीतर कम-से-कम दो बचाव-पूर्व बैठकें आयोजित करनी चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि कम-से-कम एक बचाव-पूर्व बैठक में राजस्व विभाग और पुलिस के प्रतिनिधि और बचाव दल एक साथ मौजूद हों।

NGO प्रतिनिधि को बचाव की अगुवाई करने वाले सरकारी अधिकारी से एक बचाव-पूर्व बैठक बुलाने का और अन्य सरकारी अधिकारियों को बचाव-पूर्व बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश देने का अनुरोध करना चाहिए। यदि सरकारी प्रतिनिधि बंधुआ श्रम के मुद्दे के प्रति संवेदनशील न हों तो NGO प्रतिनिधियों को इस बैठक में अधिकारियों को बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनों और कार्यविधियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधि के साथ कार्य करके बंधुआ श्रम की जाँच की योजना सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव अभियान की योजना, क़ानून द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुरूप हो।

अधिवक्ता को निम्नलिखित से संबंधित कार्यविधियों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए:

1. शिकायत/कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्टकी प्राप्ति
2. शिकायत/LIR की गोपनीयता
3. विस्तृत जाँच की कार्यविधि

अधिवक्ता को संबंधित मुद्दों और बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों, जैसे बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने की प्रक्रिया और बंधुआ श्रम से जुड़े मिथक और वास्तविकताओं, के बारे में NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को संवेदनशील भी बनाना चाहिए।

जब सरकारी अधिकारी बचाव दिनांक तय कर दें तो NGO प्रतिनिधियों को एक और आंतरिक बचाव-पूर्व बैठक बुलानी चाहिए।

सरकारी अधिकारियों के साथ कम-से-कम दो या तीन रणनीति बैठकें की जानी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

शिकायत
बचाव-पूर्व बैठक में ज़िलाधिकारी या उनके किसी विधिवत रूप से अधिकृत अधीनस्थ के सामने LIR या लिखित शिकायत पेश करके बंधुआ श्रम के घटित होने की शिकायत की जा सकती है। अधिवक्ता को शिकायत करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। जैसा चरण 1.2 में बताया गया है, पीड़ित, पीड़ित का परिवार, ज़िला प्रशासन या पुलिस मुख्य शिकायतकर्ता हो सकते हैं। यदि शिकायत में बाल श्रम शामिल है, तो श्रम विभाग को मुख्य शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

बचाव दिनांक
DM और राजस्व विभाग NGO प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बचाव दिनांक तय करते हैं। बचाव दिनांक की जानकारी गोपनीय रखनी होती है। बचाव के समय श्रम विभाग को संलग्न करने की ज़िम्मेदारी DM पर होती है। सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि शिकायत दर्ज होने से 24 घंटों के भीतर बचाव दिनांक तय कर ली जाए।

जोखिम आकलन
NGO को बचाव में शामिल जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए व्यवस्थित जोखिम आकलन और नियोजन का संचालन करना चाहिए। जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न संकेतकों की पड़ताल करनी चाहिए, जैसे तलाशा जाने वाला स्थान कहाँ पर है, मानव व्यापारियों का ब्यौरा, और समाज में आरोपित की स्थिति। जोखिमों को न्यूनतम करने की संभावित प्रतिक्रियाएँ और, अप्रत्याशित परिस्थितियों में काम आने वाली आकस्मिकता योजना बड़ी ही सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को आरोपित की चल व अचल संपत्ति के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे, ज़ब्ती की प्रक्रिया में अधिकारियों को उपयोगी जानकारी मिल सकती है।

एक दल नायक नियुक्त करें
NGO को एक दल नायक नियुक्त करना चाहिए जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक को बचाव अभियान के सहभागियों को भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए और उसे संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए एक संपर्क बिंदु का कार्य करना चाहिए। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें और हर समूह के लिए एक दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी और दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी, और हर समूह की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साझा करें।

बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनों से परिचित हों
बचाव में भाग लेने से पहले, बचाव दल के सदस्यों को बंधुआ/बलात् श्रम से जुड़े क़ानूनों और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों से ख़ुद को परिचित बनाना चाहिए।

दल की असंलग्नता
किसी भी परिस्थिति में दल को बचाव में शामिल पहचान/सत्यापन/गुप्त सूचना एकत्रण में संलग्न नहीं होना चाहिए।

बचाव-पूर्व जाँचसूची
- <u>बचाव किट तैयार करें:</u> किट में लेखन-सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पेयजल, अल्पाहार), प्राथमिक उपचार किट, वाहन, प्रिंटर और कार्ट्रिज, लैपटॉप और चार्जर, संदर्भ सामग्री (जैसे केस से संबंधित क़ानून और अधिनियमों की शब्दशः प्रति), पीड़ितों के ज़िलों, गाँवों और पुलिस स्टेशनों के नाम, कपड़े, शौचालय सामग्री, और क्रियाकलाप पुस्तिकाएँ, मोम के रंग, और रंगीन पेंसिलें (यदि बचाए जाने वाले पीड़ितों में बच्चे भी हों)। बचाव से काफ़ी पहले ही सामान पहुँचाने की व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर लें।

- आश्रय गृहों को सूचित करें:[14] बचाव स्थल के विश्वसनीय सरकारी/NGO आश्रय गृहों को बचाए जाने वाले लोगों की लगभग अपेक्षित संख्या और उन्हें आश्रय गृह लाए जाने के संभावित दिनांक के बारे में सूचित करें। सुनिश्चित करें कि NGO द्वारा संचालित आश्रय गृह सरकार से लाइसेंस-प्राप्त हों। यह कार्य गोपनीय ढंग से करना चाहिए ताकि बचाव अभियान की जानकारी ग़लत हाथों में न पड़ने पाए। NGO प्रतिनिधियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विश्वसनीय आश्रय गृहों की पहचान करके उनका एक डेटाबेस बनाकर रखें। NGO प्रतिनिधियों को यह सूची ज़िलाधिकारी/ CWC और अधिवक्ता को देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बचाव के बाद पीड़ितों को किसी विश्वसनीय आश्रय गृह भेजा जाए। जब भी कभी संभव हो तब NGO को MOU करके विश्वसनीय आश्रय गृहों से अपनी भागीदारी को मज़बूती देनी चाहिए। साथ ही, जहाँ आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं वहाँ ठहराव की व्यवस्थाएँ करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को ज़िलाधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यदि बचाए गए लोगों के लिए आश्रय गृह तुरंत न ढूँढे जा पाएँ, तो यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज़िलाधिकारी उनके ठहराव और उनकी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करें।

- बचाव दल की सुरक्षा: सुनिश्चित करें कि ज़िलाधिकारी बचाव अभियान के आकार के आधार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक शामिल करें। संवेदनशील या अधिक जोखिम वाले स्थानों के मामले में, अधिवक्ता को ज़िलाधिकारी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक हों। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

- स्वैच्छिक निकास: NGO प्रतिनिधियों के लिए यह पता करना अत्यावश्यक है कि पहचाने गए बंधुआ श्रमिक अपनी इच्छा से कार्यस्थल को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। यदि श्रमिक रिहा होने की इच्छा ज़ाहिर नहीं करते हैं, तो NGO प्रतिनिधियों को श्रमिकों को क़ानून के तहत उनके अधिकारों और पात्रताओं के बारे में बताना चाहिए और इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिकों को वहाँ से जाने पर विवश न किया जाए या उन्हें झूठी जानकारी न दी जाए। जानकारी नर्मी से, संवेदनशील ढंग से, और सही प्रकार से माँगी/पूछी जानी चाहिए।

- शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा: बंधुआ श्रम शिकायतकर्ताओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उपयोगी प्रश्नों से परिचित हों
बचाव में भाग ले रहे NGO प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले ख़ुद को उपयोगी प्रश्नों से परिचित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि नाम सही-सही लिखे गए हों और आप पीड़ित की मातृभाषा से परिचित हों। उदाहरण के लिए, यदि पीड़ित अपना नाम "गुड्डू" बताता है, तो पीड़ित से पूछकर स्पष्ट करें कि क्या यह उसका असली नाम है जो किसी पहचान पत्र पर लिखा हुआ है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है कि रिहाई प्रमाणपत्र पर लिखे पीड़ितों के नाम, उनके पहचान पत्रों पर लिखे नामों के समान हों।

मानव व्यापार-रोधी इकाई

अधिवक्ता को बंधुआ श्रमिकों की पहचान के समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं[15] के बारे में प्राधिकारियों को याद दिलाना चाहिए, जैसे:
- बलात् श्रम के अर्थ में भौतिक/शारीरिक बल का उपयोग शामिल होना आवश्यक नहीं है।
- बंधुआ श्रमिक किसी भी आयु के हो सकते हैं।
- बंधुआ श्रम किसी भी अवधि का हो सकता है।
- BLA में किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है।
- बंधुआ ऋण का जो भी दावा हो उसे असत्य प्रमाणित करने के लिए प्रमाण का भार (बर्डन ऑफ़ प्रूफ़) स्वामी पर होता है।[16]
- श्रम विभाग नियोक्ता/स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर सकता है, विशेष रूप से बाल श्रम के मामले में।

NGO की सहायता कर रहे अधिवक्ता को गवाह नहीं बनाना है
NGO को यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतनी चाहिए कि मुक़दमे में सरकारी अभियोजक की सहायता करने वाला अधिवक्ता, बचाव के समय गवाह न हो। इस प्रयोजन से, हमारी यह सलाह है कि बचाव के समय कोई अन्य अधिवक्ता उपस्थित हो।

[14] यह बंधुआ बाल श्रम से संबंधित हस्तक्षेपों पर, या उन मामलों पर लागू है जहाँ बच्चों को उनके माता-पिता के बिना बंधुआ श्रम इकाइयों में नियुक्त किया गया है।

[15] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के अनुभाग 2.3 के तहत, बंधुआ श्रम का पीड़ित कौन है इस बारे में दी गई जानकारी p. 11 पर देखें।

[16] धारा 15, BLA।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

क्या SDM/DM के आदेश या की उपस्थिति के बिना पुलिस, मानव व्यापार-रोधी इकाई, या CBI बचाव अभियान चला सकते हैं?

हाँ, पुलिस या AHTU उक्त आदेश की अनुपस्थिति में और SDM/DM के बिना बचाव अभियान चला सकते हैं। हालाँकि, यदि SDM/DM की उपस्थिति के बिना बचाव कार्य किया जाता है तो वह बेकार साबित होगा क्योंकि केवल DM/SDM (या नामित श्रम अधिकारियों) के पास ही BLA के तहत जाँच करने या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति होती है।[17]

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:

1. हर सदस्य की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ बताने वाला बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म परिशिष्ट 4 में है।
2. बंधुआ श्रम के मिथक और वास्तविकताएँ, जो सरकारी अधिकारियों को बताई जा सकती हैं, जानने के लिए परिशिष्ट 5 देखें।
3. परिशिष्ट 7 में बंधुआ श्रमिक पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप है, जिसमें बंधुआ श्रम की परिस्थितियों की पहचान करने के लिए पूछे जाने वाले कई उपयोगी प्रश्न हैं।

चरण 4 बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करना

समयसीमा: स्थल पर मिलने से लेकर बचाव कार्य पूरा करने तक, बचाव में एक दिन तक लग सकता है

NGO	अधिवक्ता
NGO को बचाव योजना के अनुसार दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम क़ानून के अनुसार किया जाए।

व्याख्या

बचाव से पहले मिलें: NGO प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को मिलाकर बने बचाव दल के सदस्यों को बचाव से कम-से-कम दो घंटे पहले किसी आम स्थान पर मिलना चाहिए। दल नायक रणनीति, बचाव योजना और भूमिकाएँ दोहराएगा: नायक को इस समय बचाव कार्य की रणनीति और उसके विभिन्न चरण समझाने चाहिए। दल नायक को दल के हर सदस्य की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ भी समझानी चाहिए और जो भी शंकाएँ हों उन्हें दूर करना चाहिए। NGO प्रतिनिधियों से बने	जैसा नीचे दिए गए चरणों में वर्णित है, अधिवक्ता यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि बचाव कार्य लागू क़ानूनों के अनुपालन में संचालित हो और अन्यथा सफल हो।

[17] अनुभाग 4.1 (उठाए जाने वाले क़दम) के तहत चरण 5, पूर्वोक्त, पृष्ठ 15 पर

एक निगरानी दल को बचाव के स्थान के पास तैनात कर देना चाहिए ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बचाव की सूचना दोषियों को मिल जाने के बारे में जानकारी दे सकें।

सस्मरणीय बिंदु

जाँच की शुरुआत
बचाव स्थल पर DM/SDM बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच शुरू करते हैं।

DM/SDM यह पहचान करते हैं कि कौन बंधुआ श्रमिक हैं
DM/SDM ही यह पहचान करेंगे कि कौन बंधुआ श्रमिक हैं और केवल उन्हीं के पास उन्हें मिली किसी शिकायत/क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट के आधार पर जाँच करने का अधिकार है।

बचाव के लिए कौन-कौन जाता है?
वयस्क बंधुआ श्रमिकों के बचाव दल में आदर्श रूप से ये होने चाहिए:

- ज़िला प्रशासन का कम-से-कम एक अधिकारी (SDM/SDO, तहसीलदार या ऐसे कोई अन्य राजस्व अधिकारी जिन्हें एक्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ सौंपी गई हों)।
- पुलिस विभाग के अधिकारी और NGO के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करते हुए)।
- बाल बंधुआ श्रमिकों के बचाव के मामले में बचाव दल में बाल श्रम कार्य बल के सदस्य होंगे जिनमें श्रम विभाग और ज़िला प्रशासन का कम-से-कम एक अधिकारी (SDM/SDO, तहसीलदार या ऐसे कोई अन्य राजस्व अधिकारी जिन्हें एक्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ सौंपी गई हों), पुलिस विभाग के अधिकारी और NGO के प्रतिनिधि होंगे (बचाव के आकार पर निर्भर करते हुए)।
- बचाव दल में महिला सदस्य भी होने चाहिए (महिला पीड़ितों के मामले में)।

पुलिस के लिए जाँचसूची
NGO प्रतिनिधियों को बचाव कार्य में साथ मौजूद ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को जाँचसूची देनी चाहिए। जाँचसूची में हर अधिकारी की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए।

मीडिया को साथ लेना
बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही मीडिया को साथ लेना चाहिए, क्योंकि पहले सूचना देने से जानकारी लीक हो सकती है। बंधुआ श्रमिकों की रिहाई के संबंध में मीडिया को साथ लेते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- सही-सही तथ्य बताएँ। आँकड़े बताते समय स्रोत बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे, दी जा रही जानकारी को विश्वसनीयता मिलती है।
- अपने संगठन की एक मीडिया नीति तैयार करें, जिनमें उन प्रतिनिधियों के नाम लिखें जिन्हें मीडिया से बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करने का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है।
- यदि आपकी बातों को ग़लत कोट किया जाए, तो NGO प्रतिनिधि को लिखित में सुधार की माँग करनी चाहिए।
- मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा बेहतर रहता है।
- बंधुआ श्रम की कहानियाँ साझा करने का उद्देश्य जागरुकता फैलाना, बंधुआ श्रमिकों को सशक्त करना, जनमत को आकार देना और बंधुआ श्रम की मौजूदगी सिद्ध करना है। कहानियाँ देते समय, सुनिश्चित करें कि कहानी को राजनीतिक रंग न मिलने पाए।
- NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया कंपनियों से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने ज़िलों में मीडिया संपर्कों का एक अंदरूनी डेटाबेस बना लेने से मदद मिलती है।
- यदि बचाया गया व्यक्ति/पीड़ित असहज है और अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहता है तो मीडिया को कहानी की पेशकश न करें। शक्ति के अंतर और सहमति के विचार के अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि इनके कारण पीड़ित, सचमुच में सहज न होने के बावजूद या उलझावों को समझने बिना ही अपनी स्वीकृति ज़ाहिर कर सकता है। पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। ऐसी जानकारी प्रकट न करें जो पीड़ितों को ख़तरे में डाल सकती हो (जैसे नाम, फोटो या पैतृक गाँव)।

- NGO को बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग के मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से ख़ुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति तैयार करनी चाहिए।
- पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति से सहमति लिए बिना उसकी कहानी कभी-भी साझा न करें। पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने से पहले उसे पढ़कर सुनाने और समझाने के लिए एक सहमति फ़ॉर्म तैयार करें।

यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को साथ लेने से बचाव कार्य कभी-भी ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए।
- NGO प्रतिनिधियों को किसी भी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर उसकी कहानियाँ साझा करने के लिए कभी-भी दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।
- पीड़ितों/बचाए गए व्यक्तियों से संबंधित कहानी प्रकाशित किए जाने से पहले उनसे अग्रिम सूचित सहमति लेनी चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाव के दौरान मुख्य रणनीतियाँ[17]
सुनिश्चित करें कि बचाव दल महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी करे, प्रवेश और निकास बिंदुओं को सुरक्षित करे, छिपने के स्थानों को ढूँढे, और एक ऐसे सुरक्षित स्थान की पहचान करे जहाँ बचाव कार्य चल रहा होने के दौरान, बचाए गए व्यक्तियों को रखा जा सकता हो।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक
बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों के लिए अधिवक्ता की केस ओपनिंग जाँचसूची परिशिष्ट 1 में दी गई है। बचाव कार्य से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सरकारी अधिकारियों की सहायता करने के लिए अधिवक्ता और NGO इस दस्तावेज़ की मदद ले सकते हैं।

विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएँ
प्रशासन (DM/SDM/तहसीलदार)
शिकायत मिलने के बाद, DM/SDM/तहसीलदार को बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें रिहा कराने और उनका पुनर्वास कराने के उद्देश्य से तुरंत जाँच के लिए एक दल बनाना है। वे बंधुआ श्रम के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाली स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी रजिस्टर करने और अपराध की पड़ताल करने का निर्देश भी देंगे। DM/SDM, BLA के प्रावधानों के तहत संक्षिप्त विचारण (मुक़दमा) भी संचालित करते हैं।

श्रम अधिकारी
श्रम अधिकारियों को जाँच के दौरान DM/SDM/तहसीलदार की सहायता करनी है और श्रमिकों के बयान रिकॉर्ड करने हैं ताकि विभिन्न संबंधित क़ानूनों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, EPF अधिनियम, समान पारितोषिक अधिनियम, और राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, के उल्लंघनों के लिए अभियोजन शुरू किया जा सके।

पुलिस अधिकारी
संबंधित पुलिस अधिकारी को जाँच अधिकारी की सहायता करनी है, उसके साथ रहना है, और जाँच के दौरान व्यवस्था बनाए रखनी है। उन्हें घटना स्थल पर तलाशी और ज़ब्ती का कार्य करना है और साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। वे आरोपितों को गिरफ़्तार करेंगे और पड़ताल शुरू करेंगे।

सतर्कता समिति
सतर्कता समिति के सदस्यों को जाँच अधिकारी की सहायता करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए।

NHRC
बंधुआ श्रमिकों की तत्काल जाँच, रिहाई और पुनर्वास के लिए सीधे NHRC से शिकायत की जा सकती है। NHRC सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रशासन विभिन्न क़ानूनों के अनुसार कार्य करे।

[17] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA, ग 4.1, 'Steps to be taken' के तहत चरण 2, पृ. 15.

चरण 5 बंधुआ श्रमिकों के बचाव स्थल को सुरक्षित करना

समयसीमा: बचाव स्थल को सुरक्षित करने की प्रक्रिया में एक दिन लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बचाव स्थल को सुरक्षित करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि आरोपितों का दोष दर्शाने वाला कोई भी साक्ष्य खोने न पाए।	अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़ी क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि ज़रूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधि पुलिस कार्मिकों की सहायता के साथ आरोपितों को उनका दोष दर्शाने वाला साक्ष्य हटाने, छिपाने या नष्ट करने से, पीड़ितों को बचाव स्थल से हटाने से, या भीड़ बनाने से रोक सकते हैं। NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस कार्मिक बचाव स्थल को चारों ओर से तुरंत सुरक्षित करें[17] ताकि अन्य व्यक्ति प्रवेश न करने पाएँ। जानकारी लीक होने से रोकने के लिए, NGO प्रतिनिधियों को पुलिस को यह सलाह देनी चाहिए कि वह आरोपितों, ठेकेदारों, पीड़ितों आदि के मोबाइल फोन अपनी अभिरक्षा में ले ले।	अधिवक्ता को जाँच स्थल को सुरक्षित करने में NGO और पुलिस की सहायता करनी चाहिए। यदि अधिवक्ता बचाव कार्य में भाग नहीं ले रहा है, तो उसे NGO को बचाव के संचालन के दौरान क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में बताना चाहिए।

चरण 6 बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करना

समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करने की प्रक्रिया बचाव वाले दिन की जानी चाहिए

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम को दोषियों से अलग करने में और बचाव स्थल पर किसी खुले स्थान पर ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाए यह सुनिश्चित करके और यदि ज़रूरी हो तो इस प्रक्रिया में पुलिस को सलाह देकर अधिवक्ता को उचित जाँच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस तुरंत ही पीड़ितों को आरोपितों से अलग कर दे ताकि पीड़ितों का उत्पीड़न न हो या उन्हें डराया-धमकाया न जाए। उन्हें पीड़ितों को किसी खुले स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए और एक ही परिवार के श्रमिकों को साथ-साथ रखना चाहिए।	अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें। अधिवक्ता को पीड़ितों और सरकारी दल को सुरक्षित रूप से निकालकर इकाई में ही किसी सुरक्षित खुले स्थान तक पहुँचाने के कार्य में सहायता करनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

पीड़ितों के प्रति पहली प्रतिक्रिया
पीड़ितों को अलग करके उन्हें घटना स्थल पर ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते समय सुनिश्चित करें कि उन्हें तुरंत इस बारे में सूचना दी जाए कि क्या हो रहा है, पुलिस और अन्य लोग उस इकाई में क्यों आए हैं, और उन्हें क्यों बचाया जा रहा है।[18]

पीड़ितों को खुले स्थान पर ले जाना
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान पर खुले में ले जाया जा रहा हो तो वहाँ आरोपित व्यक्ति मौजूद न हों।

चरण 7 बंधुआ श्रम के साक्ष्य इकट्ठा करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम के साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया आदर्श रूप से बचाव वाले दिन ही पूरी कर लेनी चाहिए, और बचाए गए श्रमिकों की संख्या के आधार पर, यह समय कम-अधिक हो सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ श्रम की मौजूदगी से जुड़े सभी मौजूद साक्ष्य इकट्ठे कर ले।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े साक्ष्यों के क़ानूनी एकत्रण के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को पंचनामा/ज़ब्ती ज्ञापन में शामिल करे।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस गवाहों/स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में सारे संभावित साक्ष्य इकट्ठे कर ले; इसमें स्वामित्व या किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज़, खाते, लेखा बहियाँ, बिजली के बिल, टेलीफोन के, पानी के, और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगरपालिका की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज़, भौतिक साक्ष्य, उपयुक्त प्राधिकरणों से जारी लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र, पीड़ितों द्वारा प्रयुक्त ख़तरनाक वस्तुएँ, औज़ार और उपकरण (यदि कोई हों)।	अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करने से संबंधित क़ानूनी कार्यविधि के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य ख़ुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए। अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे बचाव कार्य का संचालन करने के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए (यदि बचाव स्थल पर मौजूद हो) या NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देनी चाहिए कि पुलिस घटना स्थल पर ही गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा/ज़ब्ती ज्ञापन तैयार करे और उस पर विधिवत रूप से गवाहों के हस्ताक्षर ले ले। गवाह के रूप में भाग ले रहा अधिवक्ता पीड़ितों के क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

[18] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA, का अनुभाग 4.2, पृ. 16.

सस्मरणीय बिंदु

गवाह
बचाव दल के साथ मौजूद किसी NGO प्रतिनिधि या समाजसेवी को तलाशी व ज़ब्ती के प्रयोजन से स्वतंत्र गवाह बनाया जा सकता है।

पूरे बचाव स्थल की तलाशी लें
NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव स्थल की पूरी तरह तलाशी ली जाए। पीड़ितों को बक्सों, अटारियों, शौचालयों, क्यूबिकल, तालाबंद कमरों आदि में छिपाकर रखा जा सकता है। NGO अन्य छिपाए गए पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और उनका दोष दर्शाने वाली अन्य सामग्री को ढूँढने में बचाए गए व्यक्तियों की सहायता ले सकता है।

सुनिश्चित करें कि पुलिस और सरकारी अधिकारी गवाह बनाए जाएँ
NGO प्रतिनिधियों को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बचाव स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्राधिकारियों को गवाह बनाया जाए।

इकट्ठा किए जाने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सूची
बचाव कार्य से पहले ख़ुद को महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सूची से परिचित करें ताकि आपको जानकारी रहे कि क्या-क्या साक्ष्य इकट्ठे करने हैं। आप बचाव के समय मौजूद पुलिस अधिकारियों को यह सूची दिखा सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों की सहायता
NGO प्रतिनिधि/अधिवक्ता साक्ष्य इकट्ठे किए जाने के दौरान पुलिस अधिकारियों की केवल सहायता कर सकते हैं, वे ख़ुद साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर सकते हैं।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सुरक्षा करना
NGO अवलोकन अधीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को नोट करके और उनके फोटो खींचकर, महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे लेखा बहियों, व्यावसायिक रिकॉर्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को सुरक्षित करने में पुलिस की सहायता कर सकता है। इससे, यदि पुलिस को औपचारिक पड़ताल के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य वापस आकर ज़ब्त करने हों तो दोषी ऐसी सामग्री को छिपा नहीं पाएँगे या नष्ट नहीं कर पाएँगे।

कौन-कौनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने हैं?
कौन-कौनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने हैं और पड़ताल के लिए उनका महत्व क्या है इस बारे में जानने के लिए परिशिष्ट 8 देखें। उक्त परिशिष्ट का अध्ययन कर लेने के बाद उन सामग्री की एक सूची बनाएँ जो बंधुआ श्रम की पड़ताल और मुक़दमे के लिए उपयोगी होगी।

चरण 8 बंधुआ श्रमिकों के बयान दर्ज करना

समयसीमा: बयान बचाव वाले दिन ही दर्ज कर लेने चाहिए

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बयान दर्ज करने के दौरान सरकारी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले शुरुआती प्रश्नों के बारे में सरकारी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए और पीड़ितों का बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरुआती जाँच तुरंत और किसी सुरक्षित परिवेश में की जाए। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बिना किसी डर के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। NGO प्रतिनिधियों को अधिकारियों को भी यह मार्गदर्शन देना चाहिए कि वे जाँच के दौरान पीड़ित-हितैषी नज़रिया रखें।

NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाने के दौरान SDM/श्रम अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।

सुनिश्चित करें कि बयानों में इन आदि प्रश्नों के उत्तर हों:

1. आपका वेतन कितना है/आपकी दिहाड़ी/मज़दूरी कितनी है?
2. अग्रिम/ऋण के रूप में कितनी राशि मिल चुकी है?
3. ऋण किस ज़रिए चुकाया जाना था?
4. इस नियोक्ता (स्वामी/ठेकेदार) विशेष के यहाँ आप कितने समय से काम कर रहे हैं?
5. क्या आपसे बुरा बरताव हुआ है और/या आप पर हमला हुआ है?
6. क्या आप कहीं और काम करने को आज़ाद हैं?
7. क्या आप अपनी अग्रिम राशि चुकाए बिना यहाँ से जाने को आज़ाद हैं?

पीड़ितों को निडर होकर सच बोलने को प्रेरित करें। बुरे बरताव से संबंधित जानकारी पर सरकारी अधिकारियों का ध्यान खींचें और दंडनीय अपराधों जैसे यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, और अपहरण, जो बंधुआ श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हैं, की पहचान करने में उनकी सहायता करें।

अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की परिस्थितियों की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले शुरुआती प्रश्नों के बारे में अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

- क्या आपने कोई अग्रिम राशि ली थी (क़र्ज़/लोन/ऋण/एडवांस)?
- क्या आप कहीं और काम करने को आज़ाद हैं? क्या आप अपनी अग्रिम राशि चुकाए बिना यहाँ से जाने को आज़ाद हैं?
- आपका वेतन कितना है/आपकी दिहाड़ी/मज़दूरी कितनी है?
- क्या आपसे बुरा बरताव हुआ है और/या आप पर हमला हुआ है?

अधिवक्ता को पीड़ितों के बयानों को रिकॉर्ड करने का काम शुरू होने से पहले उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।

अधिवक्ता को श्रमिकों को तुरंत यह बताना चाहिए कि बंधुआ श्रम ग़ैरक़ानूनी है और उनके पास बंधन की परिस्थितियों से आज़ाद किए जाने का क़ानूनी अधिकार है।

अधिवक्ता को श्रमिकों को यह भरोसा भी दिलाना चाहिए कि क़ानून के तहत उन्हें स्वामी से सुरक्षा मिल सकती है।

अधिवक्ता को अन्य अपराधों जैसे अपहरण, हमलों और यौन दुर्व्यवहार से संबंधित विशिष्ट जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि क़ानून के जिन-जिन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उनके तहत आरोप तय किए जा सकें।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच इस बात पर केंद्रित रहे कि निम्नलिखित के आधार पर बलात् श्रम की परिस्थितियाँ मौजूद हैं या नहीं:

- कोई वेतन न मिलना या न्यूनतम वेतन से कम मिलना
- रोज़गार और आने-जाने के लिए स्वतंत्र न होना
- संपत्ति या उत्पाद को बाज़ार मूल्य पर बेचने से रोका जाना

सस्मरणीय बिंदु

जाँच के चरण
बचाव की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, जाँच इनमें से एक प्रकार से होगी:

1. पूरी तरह से बचाव स्थल पर: इस मामले में, जाँच (पूछताछ) और बयान दर्ज करने के चरण (चरण 1.8 और 1.10) बचाव स्थल पर होंगे, जिसके बाद, बचाए गए व्यक्तियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा (चरण 1.9)।
2. बचाव स्थल पर और वहाँ से इतर: इस मामले में बचाव स्थल पर शुरुआती जाँच (शुरुआती पूछताछ) की जाती है जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी/तहसीलदार बंधुआ श्रमिकों की परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद, जाँच स्थल से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर बचाए गए श्रमिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है (चरण, 1.9), जहाँ उनके बयान दर्ज किए जाते हैं (चरण 1.8) और रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए

जाते हैं (चरण 1.10)।

यदि बचाए गए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम हो:
किसी बंधुआ श्रम इकाई से बचाए गए बच्चों की अनिवार्य रूप से आयु निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, ऐसी इकाइयों से बचाए गए बच्चे मोटे तौर पर इन दो श्रेणियों में आते हैं:

1. माता-पिता/संरक्षक के साथ बचाए गए बच्चे: यदि कोई बच्चा उसके परिजनों के साथ बचाया गया है, तो वह बच्चा अपने परिजनों के साथ रहेगा और उन्हीं के साथ रिहा किया जाएगा।
2. माता-पिता/संरक्षक के बिना बचाए गए बच्चे: यदि बचाया गया बच्चा अपने मात-पिता या संरक्षक के बिना, और श्रम क़ानूनों की अवहेलना में कार्य कर रहा था तो उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में, उस बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम (JJ एक्ट) की धारा 2(14)(ii) के तहत "देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा" माना जाएगा और उसे उसकी आयु के निर्धारण के लिए और, जब तक उसकी देखभाल हेतु आगे के क़दम उठाए जाएँ तब तक किसी संरक्षात्मक गृह में रखने के लिए, ज़िले की बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा। बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए।

बच्चे की आयु के निर्धारण के लिए और उसे शुरुआती तौर पर किसी संरक्षात्मक गृह में रखने के लिए ज़िले की बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा और फिर उसकी उचित देखभाल के लिए आगे के ज़रूरी क़दम उठाए जाएँगे। बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बाल कल्याण समिति
बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी, CWC) एक सांविधिक निकाय है जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत हर ज़िले में गठित किया गया है। CWC में एक अध्यक्ष होना चाहिए जो बाल कल्याण के विषय में अनुभवी हो, और चार सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम-से-कम एक महिला हो। CWC वह अनन्य निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के कल्याण का निर्धारण करता है और जिसके पास महानगरीय मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समतुल्य शक्तियाँ होती हैं। "देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले" बच्चे को कोई भी CWC के सामने पेश कर सकता है। किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015 पारित हो जाने के बाद, अब CWC देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में अंतिम प्राधिकरण नहीं रह गया है। JJA की धारा 27(10) कहती है कि CWC के लिए शिकायतों के निवारण का प्राधिकार ज़िलाधिकारी को दिया जाएगा और बच्चे से संबंधित कोई भी व्यक्ति ज़िलाधिकारी के सामने याचिका पेश कर सकता है जो उस पर विचार करके उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत करना:
यदि DM/SDM यह निर्धारित करते हैं कि अमुक मामला बंधुआ श्रम का मामला है, तो वे यह कहेंगे कि जाँच की गई है और एक निश्चित संख्या में बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिनके रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाएँगे। व्यक्तियों को उनके बयानों के आधार पर रिहाई प्रमाणपत्र दिए जाएँगे।

जाँच के संचालन के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु:

जाँच के दौरान पीड़ितों को खाने-पीने की चीज़ें दें: NGO और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा किए गए लोगों को तुरंत खाने-पीने की चीज़ें मिलें, क्योंकि उनके भूखे होने की संभावना है और इससे उनकी गवाही बाधित हो सकती है। बयान लेने में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो उन्हें खाने-पीने की और चीज़ें और विश्राम के लिए कोई जगह प्रदान की जानी चाहिए।

पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें:[19]
पीड़ितों को न्याय तंत्र के उपयोग का अधिकार है। NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क़ानून का पालन करवाने वाली एजेंसियाँ जो भी कार्रवाई शुरू करें उनमें वे पीड़ित-हितैषी कार्यविधियों का उपयोग करें। पीड़ित को हमेशा यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वह एक पीड़ित है और उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान पीड़ितों को जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में सूचित रखना चाहिए और सहायता देनी चाहिए।

यदि पीड़ित अभद्र भाषा का उपयोग करें तो ख़ुद को अपमानित महसूस न करें क्योंकि वे सदमे से गुज़र रहे हैं। पीड़ित का हित ही सर्वोपरि है
यदि पीड़ित अपराधों के विवरण बताना न चाह रहे हों तो उन्हें विवश न करें। पीड़ित को किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श मिलना चाहिए। अनुवादकों का उपयोग करें, ताकि पीड़ित अपनी ख़ुद की भाषा में बयान दे पाए।

[19] UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour (2008, भारत सरकार और BBA के साथ संयुक्त प्रकाशन) में पृष्ठ 16 पर पीड़ितों के साथ कार्य करने के चरण देखें।

ग़लत जानकारी रिकॉर्ड करने के बारे में सावधान रहें
ऐसा संभव है कि डराए-धमकाए गए पीड़ित इस चरण में ग़लत जानकारी दें। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के बयान केवल तब दर्ज किए जाएँ जब वे बयान देना चाहते हों और बयान देने में सक्षम हों। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ित को तुरंत बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, और उसकी जो भी आशंकाएँ/ संदेह हों उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

बयान दर्ज करने के दौरान NGO प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण
सरकारी अधिकारी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अक्सर NGO प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव में भाग ले रहे प्रतिनिधि जाँच के संचालन में प्रशिक्षित हों। जब भी कभी संभव हो तब, बचाव के लिए ऐसे NGO प्रतिनिधि भेजें जो पीड़ित की भाषा में अच्छे से बातचीत कर सकते हों।

पूछे जा रहे प्रश्नों पर नज़र रखें
अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों की पूछताछ पर नज़र रखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न उचित हों और संवेदनशीलता के साथ पूछे जाएँ, उत्तरों को ठीक से दर्ज किया जाए, और जाँच शीघ्रता से पूरी कर ली जाए। सुनिश्चित करें कि यौन दुर्व्यवहार, हमलों या बच्चों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के लिए विशेष कार्यविधियों और संवेदनशीलता का उपयोग किया जाए।

जाँच (पूछताछ) स्वामियों से दूर पूरी की जानी चाहिए:
अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण जाँच (पूछताछ) स्वामियों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पूरी की जाए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाव या छापे के दौरान स्थल-पर जाँच/पूछताछ का प्रयोजन: बंधुआ मुक्ति मोर्चा[20] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इस जाँच का प्रयोजन बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना, उन्हें उनके ऋणों से मुक्त करना, और उन्हें पुनर्वास के पथ पर अग्रसर करना है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच/पूछताछ किसी औपचारिक मुक़दमे के रूप में न संचालित की जाए और यह कि बंधुआ श्रमिकों की प्रभावी ढंग से पहचान की जाए।

जाँच/पूछताछ की वे मुख्य रणनीतियाँ जो अधिवक्ता को पता होनी चाहिए: सबसे पहले, याद रखें कि हर श्रमिक से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए उनमें शामिल हैं 1) क्या आपको कोई अग्रिम (क़र्ज़/लोन/ऋण/एडवांस) मिला था? 2) क्या आप इकाई से जाने को आज़ाद थे? 3) क्या आप दूसरा काम ढूँढने को आज़ाद थे? 4) आपको कितना वेतन मिलता था/कितनी दिहाड़ी/मज़दूरी मिलती थी? दूसरे, खुले छोर वाले प्रश्न पूछें (जैसे, आप इस इकाई में काम करने कैसे आए?) तीसरे, बंद छोर वाले प्रश्न (जिनके उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं) पूछने से बचें, तब के सिवाय जब कोई बिंदु विशेष स्पष्ट कर रहे हों।

जाँच/पूछताछ हमेशा कथित दोषियों या इकाई के प्रबंधकों की मौजूदगी के बिना की जानी चाहिए: एक बार फिर बता दें कि उपर्युक्त मामले[21] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब जाँच/पूछताछ में बंधुआ श्रमिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हों तो इकाई के स्वामियों को मौजूद नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि उक्त श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से बताया जाना चाहिए।

जाँच/पूछताछ के प्रश्नों की सूची के लिए दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए प्रश्नों की एक अनुशंसित सूची परिशिष्ट 7 में प्रारूप में है।

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की घोषणा सुझाती है कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए:

- पीड़ितों से सहानुभूति से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय तंत्र के उपयोग के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)
- संपूर्ण क़ानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को उचित सहायता दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (c))

[20] AIR 1984 SC 802 , पैरा 34।
[21] AIR 1984 SC 802 पैरा 37।

- पीड़ितों की असुविधा को न्यूनतम करने, उनकी निजता की सुरक्षा करने, उन्हें सुरक्षित रखने, और उन्हें, उनके परिजनों और गवाहों को डराए-धमकाए जाने और प्रतिशोध से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए (सिद्धांत 6 (d));
- पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए (सिद्धांत 12 (a)); और
- मामलों के निपटारों और पीड़ितों को अधिनिर्णय प्रदान करने वाले आदेश कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए (सिद्धांत 6 (e))।

जाँच/पूछताछ के प्रश्नों की सूची के लिए दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए प्रश्नों की एक अनुशंसित सूची परिशिष्ट 7 में प्रारूप में है।

चरण 9 बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना

समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को बचाव वाले दिन ही/बचाव से 24 घंटों के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रमिक अपना सारा सामान अपने साथ ले लें और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए।	अधिवक्ता को दोषियों की धमकियों और उत्पीड़न से बंधुआ श्रमिकों को बचाने के संरक्षण आदेश हेतु आवेदन दायर करना चाहिए।

व्याख्या

प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रमिकों को, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए, बचाव स्थल से जल्द-से-जल्द निकाल लिया जाए।

पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहिए, जैसे:

- एक्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कार्यालय,
- सरकारी स्कूल,
- सामुदायिक हॉल

यदि बचाए गए पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया न जा सकता हो, जैसे तब जब श्रमिक कार्यस्थल से जाना न चाहते हों और उसी नियोक्ता के लिए काम करते रहना चाहते हों, या तब जब श्रमिक ख़ुद गाँव में ही रह रहे हों (कृषि बंधकों के मामले में), तो सुनिश्चित करें कि बचाए गए पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बचाव स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध हों।

यदि बचाए गए पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया न जा सकता हो तो अधिवक्ता को संरक्षण आदेश प्राप्त करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, कृषि बंधुआ श्रमिकों के बचाव के मामले में, श्रमिक झोपड़ियों में या उनके नियोक्ता द्वारा खेत पर या उसके अगल-बगल बनवाए गए अस्थायी कमरों में रहते हैं। ऐसे मामलों में, अधिवक्ता को पुलिस से संपर्क करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा मिले ताकि उनके स्वामी (जो आस-पास ही रहते हैं) उन्हें डरा या धमका न पाएँ।

यदि बचाए गए पीड़ित अपने परिजनों की सुरक्षा के बारे में डर ज़ाहिर करें तो अधिवक्ता को उत्पीड़न संरक्षण पत्र दायर करना चाहिए। पीड़ितों के सभी डरों पर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत आवश्यक क़दम उठाने चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना: यदि बंधुआ श्रमिक का कोई बच्चा हो, तो सुनिश्चित करें कि उसे माता-पिता से अलग न किया जाए।

सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करना: बचाव स्थल पर, सभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता आरोपित द्वारा हिंसक दुर्व्यवहार का इतिहास बताए तो विशेष सावधानी बरतें।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण: बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 19, मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को निष्कासन के विरुद्ध रक्षा के उपाय प्रदान करती है।

उत्पीड़न संरक्षण पत्र: रिहाई वाले दिन पीड़ित या समाजसेवी पीड़ित के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में संरक्षण पत्र या ज्ञापन दायर कर सकता है, ताकि दोषियों से निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस पत्र का एक नमूना **परिशिष्ट 9** में है।

चरण 10 बंधुआ श्रमिकों का रिहाई आदेश प्राप्त करना

समयसीमा: श्रमिकों के रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक से तीन दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को SDM या उनके अधीनस्थ अभिहित अधिकारी के समक्ष रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी करने के अनुरोध का आवेदन करना चाहिए।	सभी बंधुआ श्रमिकों के लिए क़ानून द्वारा आवश्यक कहिए गए के अनुसार रहिाई आदेश और रहिाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी कर दिए जाएँ यह सुनशि्चित करने के लिए अधिविक्ता को NGO के साथ SDM के कार्यालय जाना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधि को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- SDM से रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने का लिखित अनुरोध किया जाए।
- SDM या उनके द्वारा अभिहित अधिकारी बचाए गए हर बंधुआ श्रमिक के लिए बचाव के तुरंत बाद रिहाई आदेश जारी करें और रिहाई प्रमाणपत्र प्रदान करें।
- रिहाई आदेश में हर श्रमिक का नाम लिखा हो और यह घोषणा लिखी हो कि उन्हें बंधुआ श्रम से आधिकारिक रूप से रिहा कर दिया गया है।

यदि SDM अनिच्छा दिखाएँ, तो प्रतिनिधि को DM से संपर्क करना चाहिए। यदि तब भी बात न बने, तो NGO प्रतिनिधि RTI आवेदन दायर करके कारण पूछ सकते हैं।

NGO प्रतिनिधि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं।

और आख़िर में, NGO प्रतिनिधि किसी अधिवक्ता से संपर्क करके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता को NGO के साथ जाना चाहिए।

यदि DM आदेश स्वीकृत करने और प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध को स्वीकार न करें, तो अधिवक्ता को उपयुक्त मंचों से लिखित शिकायतें करनी चाहिए और उनके समक्ष रिट याचिकाएँ दायर करनी चाहिए। अधिवक्ता को RTI आवेदन दायर करके उक्त अस्वीकृति के कारण भी पूछने चाहिए। अधिवक्ता को रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधियों को सलाह व सहायता देनी चाहिए।

अधिवक्ताओं को रिहाई आदेश स्वीकृत किए जाने के आवेदन के लिए मसौदों के साथ तैयार रहना चाहिए। रिहाई प्रमाणपत्र के प्रारूप की सहायता लें ताकि सभी आवश्यक विवरण शामिल कर लिए जाएँ।

सस्मरणीय बिंदु

रिहाई आदेश कब और कहाँ जारी होना चाहिए?
रिहाई आदेश जाँच/पूछताछ पूरी होते ही जल्द-से-जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए। यदि जाँच/पूछताछ स्थल पर पूरी हुई है तो आदेश स्थल पर ही स्वीकृत कर दिया जाता है, पर यदि जाँच/पूछताछ स्थल से इतर अन्य स्थान पर पूरी हुई है, तो रिहाई आदेश स्थल से इतर अन्य स्थान पर स्वीकृत किया जाता है (और जानकारी के लिए चरण 1.8 में दी गई टिप्पणी देखें)।

रिहाई प्रमाण पत्र कब जारी होने चाहिए?
CSS योजना में 23.06.2017 को हुए संशोधन के अनुसार, बचाव के तुरंत बाद रिहाई प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने चाहिए। पहले, रिहाई प्रमाणपत्र जारी कब किया जाए इस बारे में कुछ भ्रम था, क्योंकि 2016 की योजना के तहत रिहाई प्रमाणपत्र का जो आदर्श फ़ॉर्म था उसमें दोषसिद्धि के दिनांक की प्रविष्टि थी, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि रिहाई प्रमाणपत्र दोषियों की दोषसिद्धि के बाद ही स्वीकृत किए जाते हैं। हालाँकि, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (MoLE), भारत सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 की यह त्रुटि ठीक कर दी और 23.06.2017 को किए गए संशोधन/आशोधन (जिसे एतद्पश्चात "CSS BL 2016 (23.6.2017 तक यथा संशोधित)" कहा गया है) द्वारा रिहाई आदेश से दोषसिद्धि का दिनांक हटा दिया, ताकि रिहाई प्रमाणपत्र अभियोजन पूर्ण होने से पहले जारी किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 17-08-2017 के ज़रिए "बंधुआ श्रमिक की पहचान और बचाव तथा अपराधी के अभियोजन की मानक प्रचालन कार्यविधि" जारी की जो यह प्रावधान करती है कि DM या SDM बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को बचाव से 24 घंटों के भीतर रिहाई प्रमाणपत्र तत्काल जारी करेंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[22] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और NHRC दिशानिर्देशों[23] के आलोक में, यह अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रशासन जाँच/पूछताछ पूर्ण होते ही जल्द-से-जल्द रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने को बाध्य है।

अंतरराज्यीय रिहाई आदेश: अंतरराज्यीय बचाव के मामले में रिहाई आदेश जारी करने की ज़िम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। BLA की धारा 12 के अनुसार, ज़िलाधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच करे और कार्रवाई करे। अतैव, धारा 12 के तहत, ज़िलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बंधुआ श्रमिकों को रिहाई आदेश स्वीकृत कर सकता है।

आज़ादी का भाषण: NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी आज़ादी का एक भाषण दें जिसमें वे बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को बताएँ कि उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें उनके अधिकार समझाएँ, और स्वतंत्र बने रहने की अटलता की ज़रूरत के बारे में समझाएँ।

अंतरिम क्षतिपूर्ति: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाल ही में नवीनीकृत CSS 23.06.2017 तक यथा संशोधित[24], के तहत DM बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़िला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि से ₹20,000.00 की तत्काल सहायता उपलब्ध कराएँ। ध्यान दें कि 17.05.2016 को अधिसूचित CS योजना में रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को ₹5,000.00 की तत्काल क्षतिपूर्ति का प्रावधान है जिसे बाद में पत्र फ़ो. क्रमांक S-11012/01/2015-BL के माध्यम से बढ़ाकर ₹20,000.00 कर दिया गया है।

प्रशासन की अन्य ज़िम्मेदारियाँ: NGO/अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन सभी श्रमिको को उनके शोषण के स्थान से निकाले और उनके लिए परिवहन, भोजन, पेयजल, ट्रेन/बस के किराये, चिकित्सीय देखभाल, मार्गरक्षण, तथा उनके मूल स्थान भेजे जाने की व्यवस्था करे।

[22] संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1987 (1) SCALE 679, 1987 संलग्नक(1) SCC 141, 1987 (संलग्नक) SCC 141.

[23] Know your rights, Bonded Labour, 2010, National Human Rights Commission, यहाँ उपलब्ध: http://nlrd.org/wp-content/uploads/2012/02/NHRC-KNOW-YOUR-RIGHTS-Bonded-Labour-English.pdf

[24] श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 17 जनवरी, 2017 के अनुसार, ज़िला बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि के तहत DM द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

रिहाई प्रमाणपत्र और अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना: संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिहा किए गए बंधुआ श्रमिकों को 'उनकी रिहाई के साथ ही' रिहाई प्रमाणपत्र दे दिए जाने चाहिए।[25] मामले में आगे यह प्रावधान भी किया गया कि रिहाई आदेशों में उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए बंधुआ श्रम के प्रत्येक पीड़ित को ₹1,000.00 की अंतरिम राहत जारी करने का निर्देश होना चाहिए।

रिहाई प्रमाणपत्रों से संबंधित दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने के लिखित अभिवेदन का एक नमूना **परिशिष्ट 15** में है। रिहाई प्रमाणपत्र के प्रारूप का एक नमूना **परिशिष्ट 16** में है।

[25] पुनर्वास निधि को ₹5,000.00 से बढ़ाकर ₹20,000.00 कर दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 दिनांकित 23.06.2017 में संशोधन भी देखें। [1987 (1) SCALE 679].

JVI JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL